Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05

खण्ड I ◆ अंक 6

मार्च 2005

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

बैंकिंग सुधारों के लिए रोडमैप

रिज़र्व बैंक ने 28 फरवरी 2005 को भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी के लिए रोडमैप तथा निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्त्व एवं गवर्नेंस पर दिशानिर्देश जारी किये।

निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्त्व एवं गवर्नेंस पर दिशानिर्देश

- भारतीय निजी क्षेत्र में स्वामित्त्व एवं गवर्नेंस से संबंधित व्यापक नीतिगत ढांचे को रेखांकित करने वाले व्यापक सिद्धांतों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि -

(i) निजी क्षेत्र के बैंकों में अंतिम स्वामित्त्व एवं नियंत्रण अच्छी तरह से बंटा हुआ हो ताकि उठायी गयी निधियों के गलत इस्तेमाल अथवा मनमाना इस्तेमाल को कम से कम किया जा सके।

(ii) महत्त्वपूर्ण शेयरधारक (अर्थात् 5.0 प्रतिशत और उससे अधिक की शेयरधारिता वाले) 3 फरवरी 2004 के शेयरों के आबंटन तथा हस्तांतरण के लिए सहमति पर रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार फिट और प्रॉपर है।

(iii) ऐसे निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो बैंक का कारोबार संभालते हैं, 25 जून 2004 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में दर्शाये गये अनुसार फिट और प्रॉपर है तथा वे सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों का पालन करते हैं।

(iv) निजी क्षेत्र के बैंकों की आदर्श परिचालन तथा प्रणालीगत स्थिरता के लिए न्यूनतम पूंजी/निवल संपदा है।

(v) नीति तथा प्रक्रियाएं पारदर्शी और सही हैं।

- निजी क्षेत्र के बैंकों को सभी समयों पर 300 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल राशि रखनी होगी।
- किसी अकेली इकाई अथवा संबंधित इकाइयों के समूह द्वारा निजी क्षेत्र के बैंक की चुकता पूंजी के 10.0 प्रतिशत से अधिक में किसी बैंक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता अथवा नियंत्रण के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की ज़रूरत होगी।
- बैंक (भारत में मौजूद शाखा वाले विदेशी बैंकों सहित)/वित्तीय संस्थाओं को इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वे बैंक की इक्विटी में कोई नया स्टेक हासिल करें यदि इस तरह के अधिग्रहण द्वारा निवेशिती बैंक में उनकी कुल धारिता बैंक की इक्विटी पूंजी के 5.0 प्रतिशत से अधिक हो जाती है।
- बड़े औद्योगिक घरानों को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के अधीन बैंक की चुकता पूंजी के 10.0 प्रतिशत से अनधिक शेयर रणनीतिपूर्ण निवेश के ज़रिए अधिग्रहण करने की अनुमति होगी।
- रिज़र्व बैंक समस्यामूलक/कमज़ोर बैंकों के पुनर्विन्यास के लिए अथवा बैंकिंग क्षेत्र में समेकन के हित के लिए मामला-दर-मामला आधार पर शेयर धारिता के उच्चतर स्तर की अनुमति दे सकता है।
- निजी क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके निदेशक मंडल में अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनित्वि करने वाले निदेशक सचमुच उन क्षेत्रों के वास्तविक प्रतिनिधि हैं और कि वे एक ही परिवार से ताल्लुक नहीं रखते और वे 25 जून 2004 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में दर्शाये गये अनुसार बैंकों के निदेशकों के लिए फिट और प्रॉपर मानदंडों को पूरा करते हैं।
- यदि किसी भी बैंक में शेयर धारिता 300 करोड़ की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है अथवा उसकी नेट वर्थ कम हो जाती है तो पूंजी को बढ़ाने अथवा स्टेक को कम करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
बैंकिंग सुधारों के लिए रोडमैप	1
निजी बैंकों के लिए स्वामित्व दिशानिर्देश	1
विदेशी बैंकों के लिए रोडमैप	2
पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का गठन	2
राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	3
शहरी सहकारी बैंक	
आवास तथा उपभोक्ता ऋणों पर उच्चतर जोख़िम भार	3
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	
जनता की जमाराशियों के लिए पूरा कवर	3
रिज़र्व बैंक	
भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए विनियमन तथा पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन	3
विदेशी मुद्रा	
निवासी पॉवर ऑफ एटर्नी धारकों द्वारा अनिवासी विदेशी खाता/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातों में लेनदेन	4
सूचना	
क्रेडिट कार्डों के बारे में ग्राहकों की शिकायतें	4
वित्तीय संस्थाओं की अनर्जक परिसंपत्तियां	4

- सभी स्रोतों (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, अनिवासी भारतीय) से निजी क्षेत्रों के बैंकों में कुल विदेशी निवेश प्रत्येक श्रेणी में निम्नलिखित सीमाओं के साथ बैंक की चुकता पूंजी के 74.0 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता:
  - (क) यदि निजी क्षेत्र के बैंक में अलग-अलग अथवा समूह के रूप में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (विदेशी बैंकों द्वारा अथवा विदेशी बैंक समूह को छोड़ कर) 5.0 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो इस तरह का स्टेक लेनेवाली इकाई को 2 फरवरी 2004 के शेयर हस्तांतरण दिशानिर्देशों में दर्शाये गये फिट और प्रॉपर मानदंडों को पूरा करना होगा और शेयरों के हस्तांतरण के लिए रिज़र्व बैंक की सहमति लेनी होगी।
  - (ख) वर्तमान में बैंक में अलग-अलग विदेशी संस्थागत निवेश के लिए सीमा 10.0 प्रतिशत है। सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के लिए कुल सीमा 24.0 प्रतिशत तक प्रतिबंधित है जिसे बोर्ड/शेयर धारकों के अनुमोदन से 49.0 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। यह छूट लागू रहेगी।
  - (ग) सभी अनिवासी भारतीयों के लिए मौजूदा कुल सीमा 24.0 प्रतिशत है जो बोर्ड/शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन अलग-अलग अनिवासी भारतीय के लिए 5.0 प्रतिशत है।

भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी के लिए रोडमैप

भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी के लिए रोडमैप में रिज़र्व बैंक ने भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी को धीमे धीमे बढ़ाने की बात कही है। यह विस्तार पहले चरण में मार्च 2005 से मार्च 2009 के बीच और दूसरे चरण में मार्च 2009 से परे रहेगा।

चरण I

- भारत में पहली बार प्रवेश कर रहे विदेशी बैंकों को शाखा मौजूदगी के ज़रिये अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी (डब्ल्यूओएस) स्थापित करने के ज़रिये ऑपरेट करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन उन्हें एकल रूप में मौजूदगी का अवश्य ही पालन करना होगा।
- भारत में पहले से ही ऑपरेट कर रहे विदेशी बैंकों को भी अपनी मौजूदा शाखाओं को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी में बदलने का विकल्प होगा अथवा उन्हें केवल शाखा मौजूदगी के ज़रिये ही ऑपरेट करना जारी करने का विकल्प होगा।
- यदि भारत में पहले से मौजूद कोई विदेशी बैंक कोई अधिग्रहण करता है, तो

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के गठन/ मौजूदा शाखाओं के रूपांतरण के लिए दिशानिर्देश

I. विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का गठन

पात्रता

ऐसे विदेशी बैंक, जो अपने देश में पर्याप्त विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण, जिसके अंतर्गत बासले मानक भी शामिल हैं, के अधीन हैं और जिनके मामले में उनके देश के नियामक ने भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन को अनुमोदित किया है, पात्र होंगे।

अन्य घटक, जैसे वित्तीय मजबूती, स्वामित्व ढांचा, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग, अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी, विदेशी बैंक का अंतर्राष्ट्रीय और अपने देश में स्थान (रैंकिंग) और भारत और विदेशी बैंक को जिस देश में स्थापित किया जायेगा उस देश के बीच के आर्थिक और राजनैतिक संबंधों पर भी विचार किया जायेगा।

पूंजी

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के पास प्रारंभ में न्यूनतम 3 बिलियन रुपये की शुरुआती पूंजी होनी चाहिये और उन्हें परिचालनों के शुरू होते ही निरंतर आधार पर 10 प्रतिशत के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाये रखना होगा।

विदेशी बैंक का मूल बैंक परिचालन की न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए भारतीय सहायक कंपनी में 100 प्रतिशत ईक्विटी रखना जारी रखेगा।

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स

निदेशक बोर्ड की संरचना निम्नानुसार होनी चाहिये -

- न्यूनतम 50 प्रतिशत निदेशक भारत के निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिये।
- न्यूनतम 50 प्रतिशत निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक होने चाहिये।
- न्यूनतम एक-तिहाई निदेशक भारत स्थित सहायक कंपनी उसके मूल देश या सहयोगी सहायक कंपनी के प्रबंधन से समग्र रूप में स्वतंत्र होने चाहिये।
- निदेशक रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 25 जून 2004 के दिशानिर्देशों में निर्धारित 'योग्य और उचित' मानदंडों से लैस होने चाहिये।

अन्य अपेक्षाएं

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इस तरह होगी -

- लाइसेंसिंग आवश्यकताएं और शर्तों के अधीन, निजी क्षेत्र के नये बैंकों के साथ व्यापक रूप से तालमेल रखनेवाली,
- शाखा विस्तार के लिए विदेशी बैंकों की मौजूदा शाखाओं के समकक्ष माना जायेगा। रिज़र्व बैंक विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के अनुरूप चलते हुए मार्केट एक्सेस और राष्ट्रीय व्यवहार सीमा का भी निर्धारण करे; और
- कंपनी अधिनियम, 1956, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934, अन्य संबंधित कानून और रिज़र्व बैंक तथा अन्य नियामकों द्वारा समय समय पर जारी निदेश, विवेकपूर्ण विनियम और अन्य दिशानिर्देशों/अनुदेशों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगा।

रिज़र्व बैंक द्वारा पुनर्विन्यास के लिए सोचे गये किसी निजी क्षेत्र के बैंक में स्टेक अर्जित करने के लिए किसी विदेशी बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनपत्र पर विचार करते समय रिज़र्व बैंक ऊपर बताये गये योग्यता मानदंड तथा पुनर्विन्यास किये जाने वाले बैंकों में उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर भी विचार करेगा।

II. मौजूदा शाखाओं का पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में रूपांतरण

विदेशी बैंक की मौजूदा शाखाओं को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में रूपांतरण करने के लिए उसके गठन हेतु उपर्युक्त निर्धारित सभी आवश्यकताएं लागू होंगी। साथ ही उन्हें निम्नानुसार अतिरिक्त अपेक्षाएं भी पूरी करनी होंगी:

- रूपांतरण के बाद पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की न्यूनतम निवल संपत्ति 3 बिलियन रुपये से कम नहीं होगी और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों पर 10 प्रतिशत का न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात निरंतर आधार पर बनाये रखना आवश्यक होगा। न्यूनतम निवल संपत्ति की गणना करते समय, स्थानीय रूप से उपलब्ध पूंजी, जिसमें रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किये अनुसार भारत में रखे गये प्रेषण योग्य अधिशेष भी शामिल होंगे, की गणना की जायेगी।
- विदेशी बैंक की मौजूदा शाखाओं को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी में रूपांतरण करने की अनुमति बैंक की शाखाओं द्वारा किस तरीके से कार्य किये जाते हैं, सांविधिक और अन्य विवेकपूर्ण अपेक्षाओं का अनुपालन और रिज़र्व बैंक की समग्र पर्यवेक्षी सहूलियत को देखकर दी जायेगी।

उसे एकल रूप में मौजूदगी की अपेक्षा का, अधिग्रहण के छ: माह की अवधि के बाद पालन करना होगा।

- पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के परिचालनों तक बाज़ार की पहुंच होगी तथा उनकी नैशनल ट्रीटमेंट सीमाएं विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के अनुरूप होंगी।
- विदेशी बैंकों को वर्ष में 12 शाखाएं खोलने के विश्व व्यापार संगठन की मौजूदा वचनबद्धता की तुलना में अधिक शाखाएं खोलने की अनुमति होगी।
- विदेशी बैंकों को चरण बद्ध तरीके से नियंत्रण रूपी स्टेक हासिल करने की अनुमति होगी लेकिन यह अनुमति निजी क्षेत्र के केवल उन्हीं बैंकों के लिए होगी जो रिज़र्व बैंक द्वारा पुनर्विन्यास के लिए चुने गये हैं।
- जहां इस तरह का अधिग्रहण भारत में पहले से ही मौजूद विदेशी बैंक द्वारा इस तरह का अधिग्रहण है तो एकल रूप में मौजूदगी की संकल्पना के अनुरूप बनने के लिए छ: महीने से अनधिक की अवधि में एक समयबद्ध योजना विदेशी बैंक द्वारा प्रस्तुत की जानी होगी और इसके साथ अधिग्रहण के लिए आवेदनपत्र दिया जायेगा।
- रिज़र्व बैंक केवल विश्वव्यापी तथा स्थानीय ख्यातिप्राप्त विदेशी बैंकों द्वारा किये गये प्रस्तावों पर विचार करेगा और केवल तभी करेगा जब इस तरह का कदम निवेशिती बैंक में सभी स्टेक धारकों के दीर्घकालिक हित में है।

चरण II

- विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के परिचालनों पर सीमाएं हटा दी जायेंगी और उन्हें घरेलू बैंकों के बराबर माना जायेगा। यह कार्य चरण I में अनुभव की समीक्षा के बाद और बैंकिंग क्षेत्र के सभी स्टेक धारकों के साथ विधिवत परामर्श करके किया जायेगा।
- परिचालन के लिए न्यूनतम निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद विदेशी बैंकों को प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव के ज़रिये पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी में अपने स्टेक को सूचीबद्ध करना और कम करना होगा अथवा उसे इस तरीके से बेचना होगा कि सहायक कम्पनी की चुकता पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत हर वक्त निवासी भारतीयों के पास रहता है।
- विदेशी बैंकों को 74 प्रतिशत की समग्र निवेश सीमा की शर्त के अधीन निजी क्षेत्र के किसी भी बैंक के साथ विलयन तथा लेनदेन अधिग्रहण की अनुमति दी जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिम अर्थात् अग्रिम एवं निवेश से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा की है तथा यह निर्णय लिया है कि उससे संबंधित आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण को राज्य सरकार द्वारा गारंटी लागू करने की अपेक्षा से जोड़ा न जाए तथा वे उन्हीं मानदंडों के अधीन रहेंगे जो राज्य सरकारों द्वारा गारंटी न किए गए ऋण जोखिमों पर लागू हैं। अलबत्ता, इस मामले में राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिमों अर्थात् अग्रिम और निवेश दोनों से संबंधित संशोधित विवेकपूर्ण मानदंडों को क्रमिक रूप से निम्नानुसार लागू किया जायेगा ताकि बैंक इस मामले में सुचारु रूप से परिवर्तन कर सकें -

- बैंक को देय ब्याज और/अथवा मूलधन या अन्य कोई राशि 180 से अधिक दिन के लिए अतिदेय हो जाने पर 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष से राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम और निवेश पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के मानदंड लागू होंगे।
- बैंक को देय ब्याज और/अथवा मूलधन या अन्य कोई राशि 90 से अधिक दिन के लिए अतिदेय हो जाने पर 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष से राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम और निवेश पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के मानदंड लागू होंगे।

शहरी सहकारी बैंक

आवास तथा उपभोक्ता ऋणों पर उच्चतर जोख़िम भार

रिज़र्व बैंक ने पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तियों को दिए जाने वाले आवास ऋणों, जो आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा पूर्णत: जमानती हैं, पर जोखिम भार को वर्तमान के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया है। अन्य सभी मामलों में यह 100 प्रतिशत होगा। वैयक्तिक ऋण सहित उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत किया गया है। चूँकि जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात सतत आधार पर बनाए रखा जाना है इसलिए जोखिम भार समस्त बकाया ऋणों पर लागू होगा।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

जनता की जमाराशियों के लिए पूरा कवर

रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया है कि उनके द्वारा स्वीकार की गयी जनता की जमाराशियों के लिए पूरी सुरक्षा-राशि (कवर) हर समय उपलब्ध हो। इस सुरक्षा-राशि की गणना करते समय सभी डिबेंचरों का (जमानती और गैर जमानती) और जमाकर्ताओं के प्रति कुल देयताओं से इतर बाहरी देयताओं का मूल्य, कुल आस्तियों में से घटाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस प्रयोजन के लिए आस्तियों का मूल्यन उनके बही मूल्य या वसूली योग्य/बाज़ार मूल्य पर, जो भी कम हो, किया जाना चाहिए। यदि उपर्युक्त प्रकार गणना की गयी सुरक्षा-राशि जनता की जमाराशियों के संबंध में देयता से कम होती हो तो संबंधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए अनिवार्य है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी सूचना दे। इसके अलावा जनता की जमा राशियां स्वीकार करने/रखने वाली सभी गैर बैंकिंग कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ ख के अनुसरण में निवेश की गयी सांविधिक चल आस्तियों पर जमाकर्ताओं के पक्ष में अस्थायी प्रभार सृजित करें। ऐसा प्रभार कंपनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षाओं के अनुसार विधिवत पंजीकृत कराया जाना चाहिए।

रिज़र्व बैंक

भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए विनियमन तथा पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 मार्च 2005 को अपने केंद्रीय बोर्ड की एक समिति के रूप में भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए विनियमन तथा पर्यवेक्षण बोर्ड गठित किया। यह गठन 18 फरवरी 2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के विनियमन तथा पर्यवेक्षण बोर्ड) विनियमन 2005 के अनुसार किया गया है। भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए विनियमन तथा पर्यवेक्षण बोर्ड आज से अस्तित्व में आया है और इसका कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए विनियमन तथा पर्यवेक्षण बोर्ड, भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के सभी प्रकारों के विनियमन तथा पर्यवेक्षण से संबंधित नीतियां निर्धारित करेगा, मौजूदा तथा भावी प्रणालियों के लिए मानक तय करेगा, भुगतान तथा निपटान प्रणालियां प्राधिकृत करेगा, इन प्रणालियों की सदस्यता के लिए मानदंड निर्धारित करेगा और इनके अलावा सदस्यता के जारी रहने, समाप्त किये जाने तथा रद्द किये जाने के बारे में मानदंड निर्धारित करेगा।

भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए विनियमन तथा पर्यवेक्षण बोर्ड अपने कार्यों को कर सके इसकी सुविधा के लिए रिज़र्व बैंक ने एक नया विभाग, भुगतान तथा निपटान प्रणाली विभाग भी गठित किया है। इस विभाग ने 7 मार्च 2005 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या South - 19/2004-05
30 मार्च तथा 31 मार्च 2005 को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित
Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05

विदेशी मुद्रा

निवासी पॉवर ऑफ एटर्नी धारकों द्वारा अनिवासी विदेशी खाता/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातों में लेनदेन

लोक सेवाओं की प्रक्रिया और कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा पर गठित समिति (अध्यक्ष : श्री एस.एस. तारापोर) द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंक निवासी पॉवर ऑफ एटर्नी धारक को सामान्य बैंकिंग के माध्यम से एनआरई खाते की शेष राशि में से निधि भेजने की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते इस प्रयोजन हेतु विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। अलबत्ता, पॉवर ऑफ एटर्नी के अधीन केवल अनिवासी खाताधारक को ही प्रेषण की अनुमति दी जाती है।

इससे पूर्व, मई 2000 में अनिवासी खाताधारक द्वारा किसी निवासी के पक्ष में प्रदान किए गए पॉवर ऑफ एटर्नी के अनुसार एनआरई खाता के परिचालन की अनुमति थी, बशर्ते ऐसे परिचालन स्थानीय भुगतानों के लिए आहरण तक सीमित हों।

सूचना

क्रेडिट कार्डों के बारे में ग्राहकों की शिकायतें

रिज़र्व बैंक ने बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों से संबद्ध मामलों पर चर्चा करने के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बड़े बैंकों की एक बैठक आयोजित की। बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रतिक्रिया के रूप में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय बैंक संघ क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले कुछ बड़े बैंकों के साथ मिल कर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनायी जाने वाली आचार संहिता तैयार करेगा।

बैठक के दौरान रिज़र्व बैंक ने इस बात को दोहराया कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक ग्राहकों की शिकायतों की तरफ और अधिक ध्यान दें और क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए अपने बैंकों में उचित शिकायत निवारण कक्ष स्थापित करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपने क्रेडिट कार्ड उत्पादों की मार्केटिंग करने वाले डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को यथोचित आचार संहिता जारी करें और उन्हें चेतावनी दी गयी कि वे बेकार की कानूनी कार्रवाइयों से बचने के लिए पहले से ही प्रयास करें।

बैंकों ने रिज़र्व बैंक को आश्वासन दिया कि उनके पास डाइरेक्ट सेलिंग एजेंटों द्वारा दी जाने वाली सेवा का स्तर जांचने के लिए व्यवस्थाएं हैं और उनके पास ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए भी तंत्र मौजूद है। अलबत्ता, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि देश में किसी कड़े प्राइवेसी नियम की अनुपस्थिति में डेटा बेस की बिक्री रोकने में कठिनाई है। यही कठिनाई अनचाही टेलीफोन कालों को रोकने में और मुश्किलें पैदा करती है।

इस क्षेत्र में ग्राहकों की शिकायतों को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने हाल ही में क्रेडिट कार्डों के लिए विनियामक तंत्र तैयार करने के लिए एक कार्यदल भी गठित किया था। कार्यदल अन्य बातों के साथ साथ प्लास्टिक कार्डों के लिए अपेक्षित विनियामक उपायों के प्रकार सुझायेगा ताकि सुरक्षित, संरक्षित और कुशल तरीके से कार्डों की वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके। दल अपनाये जाने के लिए उपाय सुझायेगा ताकि कार्ड जारीकर्ताओं के नियम, विनियम, मानक तथा व्यवहार सर्वोत्तम ग्राहक व्यवहारों के अनुरूप हों; दल कार्ड उपयोगकर्ता के लिए शिकायत निवारण तंत्र तैयार करने के लिए तथा ग्राहकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने के लिए उपाय सुझायेगा। रिज़र्व बैंक ने जनता से भी अनुरोध किया है कि वे इन क्षेत्रों में अपने सुझाव cardsgroupdit@rbi.org.in को भेजें।

भारतीय रिज़र्व बैंक को कुछ अरसे से विभिन्न संगठनों, एसोसिएशनों, प्रचार-तंत्रों और जनता से कार्ड जारी करने वाले बैंकों के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही थीं। ये शिकायतें ग्राहकों को तंग किये जाने, बिन मांगे कार्ड प्राप्त किये जाने, कार्डों को गलत तरीके से एक्टिवेट किये जाने, सेवा प्रभार/अन्य प्रभार लगाये जाने के बारे में पारदर्शिता के अभाव तथा कारगर शिकायत निवारण मशीनरी के न होने आदि के बारे में थीं।

वित्तीय संस्थाओं की अनर्जक परिसंपत्तियां *

(करोड़ रुपये में)

संस्था का नाम	2001-02		2002-03		2003-04	
	कुल अनर्जक परिसंपत्तियां	निवल अनर्जक परिसंपत्तियां	कुल अनर्जक परिसंपत्तियां	निवल अनर्जक परिसंपत्तियां	कुल अनर्जक परिसंपत्तियां	निवल अनर्जक परिसंपत्तियां
आइएफसीआइ लिमिटेड	6574	3898	8382	4560	9998	3864
आइआइबीआइ	1121	609	1718	915	1722	800
आइडीबीआइ	7932	3873	8751	7517	10292	8693
एक्ज़िम बैंक	986	448	784	184	729	129
नाबार्ड	0.93	1.61	0.80			
एनएचबी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
आइडीएफसी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	30	कुछ नहीं
सिडबी		382.17		472.70		225.82

* *मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के अगस्त 2004 के अंक में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक परिसंपत्तियों की सूची प्रकाशित की गयी है तथा सितम्बर 2004 के अंक में निजी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक परिसंपत्तियों की सूची प्रकाशित की गयी है।*

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फार्म IV

1. प्रकाशन का स्थान : मुंबई
2. प्रकाशन की अवधि : मासिक
3. संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम, राष्ट्रिकता और पता : अल्पना किल्लावाला भारतीय, भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेस संपर्क प्रभाग, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400 001
4. उन व्यक्तियों के नाम और पते जो पत्र के मालिक हैं : भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रेस संपर्क प्रभाग, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400 001

मैं, अल्पना किल्लावाला, इसके द्वारा घोषणा करती हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

(हस्ता./-)
अल्पना किल्लावाला
प्रकाशक के हस्ताक्षर

दिनांक : 1 मार्च 2005

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ॲण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को लिखें। इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**